

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-100 / 2022 (2022 / 214) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कल्लुकंवर पत्नि गणपतसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयश्री पत्नि सन्दीप कुमार त्रिवेदी निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्यानी पुत्री मांगीलाल पत्नि राजु जाट निवासी नान्दशा हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर
2. समता पुत्री मांगीलाल पत्नि जगदीश जाट नि. नान्दशा हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर
3. मीतु पुत्री मांगीलाल पत्नि मांगीलाल जाट नि. नान्दशा हाल कोशीथल तहसील सहाड़ा
4. मोहनी पुत्री मांगीलाल पत्नि नानुराम जाट नि. नान्दशा हाल कोशीथल तहसील सहाड़ा
5. सीता पुत्री मांगीलाल पत्नि रमेश जाट निवासी नान्दशा हाल केमुनिया तहसील रायपुर
6. नाथु पिता मांगीलाल जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मुली पत्नि हीरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छोगा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पन्ना पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लोभा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. कृष्णगोपालसिंह पिता तेजसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. महेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. भैरु पिता हीरालाल जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. लेहरू पिता हीरालाल जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. दिनेश पिता पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. प्रवीण पिता पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मंजु पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. मधु पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. माया पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. मीना पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. ऐजी पत्नि मांगीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. फुली पत्नि लादुलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश चन्द्र टेलर -
1. मुकेश जाट -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

विपक्षी 6 अधिवक्ता

निर्णय

13.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 है0 गो.मुखड्डा, आराजी संख्या 110 रकबा 7.09 है0, आराजी संख्या 79 रकबा 0.71 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 84 रकबा 2.94 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.80 है0 भूमि



14

राजस्व खाता संख्या 326 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 27.05.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 से 12 व 14 से 20 व 22 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 5, 6 के अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया तथा विपक्षी संख्या 13 की अदम तामिल व विपक्षी संख्या 21 के विरुद्ध के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 है0 गे.मु.खड्डा, आराजी संख्या 110 रकबा 7.09 है0, आराजी संख्या 79 रकबा 0.71 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 84 रकबा 2.94 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.80 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 326 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (जिला भोलवाड़ा)
रायपुर (भोलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—100 / 2022 (2022 / 214) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कल्लुकंवर पत्नि गणपतसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयश्री पत्नि सन्दीप कुमार त्रिवेदी निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्यानी पुत्री मांगीलाल पत्नि राजु जाट निवासी नान्दशा हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर
2. समता पुत्री मांगीलाल पत्नि जगदीश जाट नि. नान्दशा हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर
3. मीठु पुत्री मांगीलाल पत्नि मांगीलाल जाट नि. नान्दशा हाल कोशीथल तहसील सहाड़ा
4. मोहनी पुत्री मांगीलाल पत्नि नानुराम जाट नि. नान्दशा हाल कोशीथल तहसील सहाड़ा
5. सीता पुत्री मांगीलाल पत्नि रमेश जाट निवासी नान्दशा हाल केमुनिया तहसील रायपुर
6. नाथु पिता मांगीलाल जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मुली पत्नि हीरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छोगा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पन्ना पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लोभा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. कृष्णगोपालसिंह पिता तेजसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. महेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. भैरु पिता हीरालाल जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. लेहरू पिता हीरालाल जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. दिनेश पिता पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. प्रवीण पिता पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मंजु पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. मधु पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. माया पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. मीना पुत्री पारसमल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. ऐजी पत्नि मांगीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. फुली पत्नि लादुलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक



14

28.09.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 है0 गे.मु.खड्डा, आराजी संख्या 110 रकबा 7.09 है0, आराजी संख्या 79 रकबा 0.71 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 84 रकबा 2.94 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.80 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 326 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी/अधीक्षक
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
गयपुर, मालवाडि